NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 23-05-2026

विषय सूची

भारत के प्रस्तावित एंटी-डोपिंग कानून संशोधन

नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2024

साइबर वॉरफेयर और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती

सीमा प्रबंधन

कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ

संक्षिप्त समाचार

- लोक लेखा समिति (PAC)
- भारत द्वारा इथियोपिया की WTO सदस्यता का समर्थन
- मायोपिया महामारी
- शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Island)

भारत के प्रस्तावित एंटी-डोपिंग कानून संशोधन

समाचार में

- युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अधिनियम, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को जन परामर्श हेतु प्रस्तुत किया है।
  - इन संशोधनों का उद्देश्य संगठित डोपिंग गतिविधियों को अपराध घोषित करना है, जिसमें तस्करों, सिंडिकेटों, कोचों और आपूर्तिकर्ताओं को लक्षित किया जाएगा, न कि उन खिलाड़ियों को जो प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के कारण दोषी पाए जाते हैं।

डोपिंग के बारे में

- डोपिंग का अर्थ है खिलाड़ियों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिबंधित प्रदर्शन-वर्धक पदार्थों या तरीकों का उपयोग करना।
- वैश्विक स्तर पर इसका संचालन **विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA)** द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी।
  - WADA प्रतिबंधित सूची बनाए रखती है, जिसमें एनाबॉलिक स्टेरॉयड, EPO, उत्तेजक पदार्थ, मूत्रवर्धक और आवरणकारी एजेंट शामिल हैं।
- भारत में **राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA)** एंटी-डोपिंग ढांचे को लागू करती है तथा **राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL)** परीक्षण करती है।
- भारत **यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में डोपिंग विरोधी अभिसमय** का हस्ताक्षरकर्ता है।

प्रमुख प्रस्तावित संशोधन

- **संगठित डोपिंग गतिविधियों का अपराधीकरण**: ध्यान केवल खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि डोपिंग नेटवर्क पर केंद्रित होगा।
- **प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी और आपूर्ति पर दंड**: अवैध तस्करी, आपूर्ति या वितरण को आपराधिक दंड मिल सकता है।
- **सहायक कर्मियों की जवाबदेही**: कोच, प्रशिक्षक, चिकित्सक या अन्य सहयोगी जो जानबूझकर प्रतिबंधित पदार्थ देते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
- **नाबालिगों की सुरक्षा**: 18 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थ देने पर कठोर दंड का प्रावधान।
- **संगठित वाणिज्यिक संचालन पर कार्रवाई**: डोपिंग गतिविधियों से लाभ कमाने वाले सिंडिकेटों पर आपराधिक दायित्व।
- **बिक्री और प्रचार का विनियमन**: गलत लेबल वाले प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री और विज्ञापनों के माध्यम से डोपिंग को बढ़ावा देने पर दंड।

भारत में डोपिंग बने रहने के कारण

- **दूषित सप्लीमेंट्स**: सप्लीमेंट बाजार का अपर्याप्त नियमन, निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद आसानी से खिलाड़ियों तक पहुँचते हैं।
- **जागरूकता की कमी**: कई खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थों की सूची से अनभिज्ञ रहते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक दबाव**: ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए खेल गरीबी से निकलने का साधन है; सार्वजनिक रोजगार और कोटा जैसी सुविधाएँ प्रदर्शन के लिए दबाव बढ़ाती हैं।
- **संस्थागत कमियाँ**: NADA को 2022 तक विधायी समर्थन नहीं था।
- **सीमित WADA-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ**: परीक्षण में विलंब।

प्रस्तावित संशोधनों का महत्व

- ध्यान व्यक्तिगत खिलाड़ियों से हटकर संगठित आपराधिक नेटवर्क पर केंद्रित।
- कमजोर खिलाड़ियों को शोषण से बचाव।
- खेल शासन और अखंडता को सुदृढ़ करना।
- अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की विश्वसनीयता बढ़ाना।

भारत में प्रमुख एंटी-डोपिंग उपाय

- **राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA)**: परीक्षण, जांच, जागरूकता कार्यक्रम और नियमों का कार्यान्वयन।
- **राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL)**: खिलाड़ियों के नमूनों का वैज्ञानिक विश्लेषण।
- **नो योर मेडिसिन (Know Your Medicine) ऐप**: खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थों वाली दवाओं की पहचान में सहायता।
- **थेरेप्यूटिक यूज़ एग्जेम्प्शन [Therapeutic Use Exemption (TUE)]**: वास्तविक चिकित्सीय स्थिति वाले खिलाड़ियों को निर्धारित शर्तों के अंतर्गत प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग की अनुमति।

Source: TH

नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2024

संदर्भ

- हाल ही में नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2024 भारत के महापंजीयक कार्यालय (ORGI) द्वारा जारी किया गया।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)

- यह शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन एवं मृत्यु दर संकेतकों के राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करती है।
- यह एक बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है, जिसे भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाता है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **जन्म दर:** प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्म। यह 2014 में 21 से घटकर 2024 में 18.3 हो गई।
  - शहरी क्षेत्रों में 14.9 से घटकर 14.7 और ग्रामीण क्षेत्रों में 20.3 से घटकर 20.2।
  - बिहार में सर्वाधिक जन्म दर 26.8 रही, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में न्यूनतम 9.9।
- **मृत्यु दर:** प्रति 1,000 जनसंख्या पर मृत्यु। यह 6.7 से घटकर 6.4 हो गई।
  - 2024 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मृत्यु दर 8.4 रही, जबकि चंडीगढ़ में न्यूनतम 3.9।
- **शिशु मृत्यु दर (IMR):** एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मृत्यु।
  - 2024 में IMR का स्तर 24 रहा, जो 1971 की तुलना में पाँचवें हिस्से से भी कम है।
  - विगत दस वर्षों में IMR में लगभग 38% की कमी आई।
  - 2024 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक IMR (36) और मणिपुर में न्यूनतम (2) दर्ज किया गया।

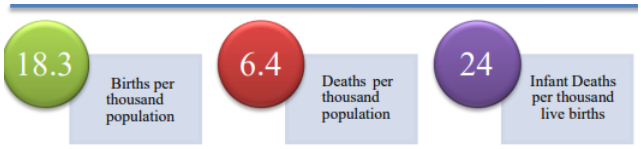

Figure 1: India at a glance, 2024

शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु सरकारी पहल

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK):** सभी गर्भवती महिलाओं एवं बीमार शिशुओं (एक वर्ष तक) को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क प्रसव (सीज़ेरियन सहित) की सुविधा। इसमें निःशुल्क दवाएँ, उपभोग्य सामग्री, आहार, जाँच, परिवहन एवं रक्त आधान शामिल।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को विशेषज्ञ/चिकित्सक द्वारा निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच।
- **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSNDs):** मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा जागरूकता।
- **प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल:** गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की सेवाओं की सतत निगरानी हेतु वेब-सक्षम प्रणाली।
- **माता एवं शिशु संरक्षण कार्ड तथा सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका:** गर्भवती महिलाओं को आहार, विश्राम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभकारी योजनाएँ एवं संस्थागत प्रसव की जानकारी।
- **मिशन इंद्रधनुष (2014):** 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु नियमित टीकाकरण सेवाओं को सुदृढ़ करना।

- पूर्ण टीकाकरण कवरेज 2015 में 62% से बढ़कर 2026 में 98.4% हुआ।

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK):** 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (रोग, कमी, दोष एवं विकासात्मक विलंब) की स्क्रीनिंग।
- **पोषण पुनर्वास केंद्र (NRCs):** गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) एवं चिकित्सीय जटिलताओं वाले बच्चों का उपचार।

क्या आप जानते हैं?

- भारत ने टीकाकरण के माध्यम से चेचक, पोलियो और मातृ एवं नवजात टिटनेस का उन्मूलन कर दिया है तथा अपना टीकाकरण कार्यक्रम निरंतर विस्तारित कर रहा है — हाल ही में 2026 में HPV एवं स्वदेशी Td टीके लॉन्च किए गए।
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है, जो प्रतिवर्ष 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.54 करोड़ नवजात शिशुओं तक निःशुल्क पहुँचता है।

Source: TH

साइबर वॉरफेयर और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती

संदर्भ

- हाल ही में इस्राइल-ईरान संघर्ष से जुड़ी साइबर गतिविधियों ने यह उजागर किया कि अब पारंपरिक सैन्य हमलों के साथ-साथ डिजिटल हमले भी किए जा रहे हैं।

साइबर वॉरफेयर के बारे में

- साइबर वॉरफेयर का अर्थ है डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसी अन्य राज्य की प्रणालियों और अवसंरचना को बाधित करना, क्षति पहुँचाना या रणनीतिक लाभ प्राप्त करना।
- यह **साइबरस्पेस** में संचालित होता है और पारंपरिक वॉरफेयर के विपरीत संचार, वित्तीय एवं रक्षा नेटवर्क को लक्षित करता है।

साइबर वॉरफेयर के घटक

- **साइबर जासूसी**: संवेदनशील सैन्य या रणनीतिक जानकारी की चोरी।
- **साइबर हमले**: मैलवेयर, रैनसमवेयर या DDoS हमलों के माध्यम से नेटवर्क, वेबसाइट या अवसंरचना को बाधित करना।
- **सूचना वॉरफेयर**: गलत सूचना और प्रचार के माध्यम से जनमत को प्रभावित करना।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमला**: विद्युत ग्रिड, बैंकिंग प्रणाली, रक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य नेटवर्क को निशाना बनाना।
- **मनोवैज्ञानिक अभियान**: डिजिटल माध्यम से मनोबल और जन धारणा को प्रभावित करना।

वॉरफेयर के नए साधन के रूप में साइबर अभियान

- आधुनिक संघर्षों में भौतिक हमलों के साथ साइबर अभियानों का संयोजन बढ़ रहा है।
- अमेरिका-इस्राइल-ईरान तनाव के दौरान समाचार पोर्टलों और संचार अनुप्रयोगों की हैकिंग की रिपोर्टें सामने आईं।

उभरते रुझान

- भौतिक हमलों से पूर्व संचार और रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करने हेतु साइबर अभियानों का प्रयोग।
- डिजिटल हमले भौगोलिक सीमाओं से परे संघर्ष को विस्तारित करते हैं।
- गैर-राज्य हैकर समूह प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जवाबदेही कठिन हो जाती है।
- राज्य साइबर उपकरणों का प्रयोग आक्रामक और रक्षात्मक दोनों रणनीतिक उद्देश्यों हेतु करते हैं।
  - इस प्रकार, भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष के बाद साइबरस्पेस वॉरफेयर का 'पाँचवाँ क्षेत्र' बन गया है।

साइबर वॉरफेयर से जुड़े मुद्दे और चिंताएँ

- **जिम्मेदारी तय करने में कठिनाई**: साइबर हमले कई न्यायक्षेत्रों और गुमनाम नेटवर्कों से होकर गुजरते हैं, जिससे वास्तविक अपराधी की पहचान कठिन होती है।
- **अंतरराष्ट्रीय कानून में अस्पष्टता**: संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है और सिद्धांततः साइबरस्पेस पर भी लागू होता है।

- किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि कब साइबर हमला 'बल प्रयोग' की श्रेणी में आता है।

- **कानूनी उपायों की कमी**: पीड़ितों को न्याय मिलना दुर्लभ है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों को राज्य की सहमति चाहिए; घरेलू न्यायालयों में संप्रभु प्रतिरक्षा राज्यों की रक्षा करती है; और साक्ष्य प्रायः गोपनीय या तकनीकी रूप से जटिल होते हैं।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना पर खतरा**: साइबर हमले बैंकिंग प्रणाली, ऊर्जा ग्रिड, स्वास्थ्य सेवाओं और शासन प्लेटफॉर्म को बाधित कर सकते हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर जोखिम उत्पन्न होता है।
- **वृद्धि का जोखिम**: साइबर हमले प्रतिशोध को प्रेरित कर सकते हैं और पारंपरिक सैन्य सीमा पार किए बिना भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा सकते हैं।
- **गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका**: हैक्टिविस्ट समूह और साइबर मर्सिनरी के सैनिक अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्य की जिम्मेदारी को जटिल बनाते हैं।

संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर**:
  - अनुच्छेद 2(4): किसी अन्य राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी को प्रतिबंधित करता है।
  - अनुच्छेद 51: सशस्त्र हमले की स्थिति में आत्मरक्षा की अनुमति देता है।
- **टालिन मैनुअल**: NATO विशेषज्ञों द्वारा तैयार, यह बताता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून साइबर वॉरफेयर पर कैसे लागू होता है, यद्यपि यह बाध्यकारी नहीं है।
- **बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबरक्राइम**: साइबर अपराध के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत संप्रभुता और प्रारूपण में भागीदारी न होने की चिंताओं के कारण हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- **संयुक्त राष्ट्र साइबरक्राइम कन्वेंशन**: वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, किंतु राज्य-प्रायोजित साइबर वॉरफेयर को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता।

भारत द्वारा साइबर वॉरफेयर से निपटने के उपाय

- **संस्थागत उपाय**:
  - **CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल):** साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया हेतु नोडल एजेंसी।
  - **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC):** महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा।
  - **रक्षा साइबर एजेंसी (DCA):** सैन्य साइबर अभियानों का संचालन।
- **नीतिगत पहल**:
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013।
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023।
  - क्षमता निर्माण हेतु साइबर सुरक्षित भारत पहल।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग**:
  - भारत संयुक्त राष्ट्र के ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी करता है।
  - अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय साइबर सहयोग।

साइबर वॉरफेयर के विरुद्ध सुदृढ़ीकरण उपाय

- **स्पष्ट साइबर प्रतिरोध विकसित करना**: भारत को आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं सहित व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार करनी चाहिए।
- **जिम्मेदारी निर्धारण क्षमता में सुधार**: AI-आधारित साइबर फॉरेंसिक और खुफिया साझाकरण में निवेश आवश्यक।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना को सुदृढ़ करना**: नियमित सुरक्षा ऑडिट और स्वदेशी साइबर सुरक्षा तकनीकों को बढ़ावा।
- **कुशल कार्यबल का निर्माण**: साइबर सुरक्षा शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण का विस्तार।
- **अंतरराष्ट्रीय साइबर मानदंडों को बढ़ावा देना**: भारत को साइबरस्पेस में जिम्मेदार राज्य व्यवहार हेतु वैश्विक नियमों को सक्रिय रूप से आकार देना चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी**: उद्योग के साथ सहयोग आवश्यक है क्योंकि अधिकांश डिजिटल अवसंरचना निजी स्वामित्व में है।

Source: TH

सीमा प्रबंधन

समाचार में

- केंद्र सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की सीमाओं को सुदृढ़ करने हेतु **स्मार्ट बॉर्डर परियोजना** शुरू करने जा रही है। इसमें ड्रोन, राडार और आधुनिक निगरानी कैमरों जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

सीमा प्रबंधन

- सीमा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई देश अपनी सीमाओं को नियंत्रित और प्रबंधित करता है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अधिकृत व्यक्तियों एवं वस्तुओं का सुचारु आवागमन हो।
- इसमें अवैध प्रवेश और खतरों को रोकना शामिल है, साथ ही वैध व्यापार एवं यात्रा को न्यूनतम व्यवधान के साथ सुगम बनाना भी।

- **नोट:** भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किमी से पुनर्मूल्यांकन कर 11098.81 किमी कर दी गई है। यह कार्य राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय (NHO) ने सर्वे ऑफ इंडिया (SoI) के सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) द्वारा प्रदत्त नवीनतम संदर्भ शर्तों के अनुसार किया।

सीमा प्रबंधन का महत्व

- **राष्ट्रीय सुरक्षा**: भारत की 15,106 किमी लंबी स्थलीय सीमा सात देशों—पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान—से लगती है।
  - इन सीमाओं की सुरक्षा घुसपैठ, आतंकवाद और अवैध प्रवासन को रोकने के लिए आवश्यक है।
- **आर्थिक विकास**: सीमा सड़कें, सुरंगें और संपर्क परियोजनाएँ व्यापार, पर्यटन एवं पुनः प्रवासन को सक्षम बनाती हैं, जिससे "दूरस्थ" गाँव "प्रथम गाँव" में परिवर्तित होते हैं।
- **रणनीतिक स्थिरता**: प्रभावी सीमा प्रबंधन भारत की प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करता है और त्वरित सैन्य लामबंदी में सहायक होता है।
- **सामुदायिक एकीकरण**: सीमा गाँवों का विकास राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और सीमावर्ती जनसंख्या में अलगाव को कम करता है।

चुनौतियाँ

- **छिद्रपूर्ण सीमाएँ**: विशेषकर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से लगी सीमाएँ तस्करी, अवैध प्रवासन एवं मानव तस्करी जैसी सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
- **कठिन भू-भाग**: हिमालय, रेगिस्तान और घने वन निगरानी एवं अवसंरचना विकास में बाधा डालते हैं।
- **सीमा-पार आतंकवाद**: भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगातार घुसपैठ के प्रयास।
- **प्रौद्योगिकीय अंतराल**: AI, UAV (ड्रोन) और स्मार्ट फेंसिंग के व्यापक उपयोग की आवश्यकता।
- **सामाजिक-आर्थिक कमजोरियाँ**: सीमा गाँवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की कमी उन्हें शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- **समन्वय संबंधी समस्याएँ**: अनेक एजेंसियों के बीच कभी-कभी कार्यों का ओवरलैप और समन्वय की कठिनाई।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन (BIM) योजना:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम (2021–26)** है जिसकी लागत ₹13,020 करोड़ है। इसका उद्देश्य भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुदृढ़ करना है।
  - इस योजना का फोकस सीमा सुरक्षा को बेहतर बनाने पर है, जिसमें बाड़बंदी, सड़कें, फ्लडलाइट, सीमा चौकियाँ, हेलीपैड और फुट ट्रैक जैसी अवसंरचना का विकास शामिल है। साथ ही, उन क्षेत्रों में तकनीक का उपयोग किया जाता है जहाँ भौतिक बाड़बंदी संभव नहीं है।

- **समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS):** यह प्रणाली भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर वास्तविक समय की स्थिति जागरूकता को बेहतर बनाने एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है।
  - यह जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया जानकारी और कमांड-एंड-कंट्रोल प्रणालियों का एकीकरण कर सीमा निगरानी को सुदृढ़ करती है।
- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP):** इसका उद्देश्य भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 10 किमी के अंदर रहने वाले लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार करना है।
  - इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल, स्वच्छता और आजीविका जैसी आवश्यक अवसंरचना का विकास समन्वित सरकारी योजनाओं के माध्यम से किया जाता है।
- **सीमा सड़क संगठन (BRO) की भूमिका:** BRO सीमा और दुर्गम क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों, पुलों, सुरंगों तथा हवाई पट्टियों का निर्माण एवं रखरखाव करता है ताकि सैन्य और नागरिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
  - अब तक BRO ने 64,100 किमी सड़कें, 1,179 पुल, 07 सुरंगें और 22 हवाई पट्टियाँ भारत की सीमा क्षेत्रों एवं मित्र पड़ोसी देशों में निर्मित की हैं।
- **सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र विस्तार:** BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भूमि आवंटन से संबंधित निर्णय भी अंतिम रूप दिया गया है।
- **डिजिटल कनेक्टिविटी:** सरकार भारतनेट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार कर रही है।
  - डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्तपोषित भारतनेट सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुँचाने का लक्ष्य रखता है।
  - संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत शेष गाँवों तक कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है।
  - ऑफ़लाइन, बहुभाषी और सुलभ सुविधाओं वाले डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म का उपयोग डिजिटल विभाजन को कम करने तथा अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित करने हेतु किया जा रहा है।
- जीवंत गाँव कार्यक्रम
  - **जीवंत गाँव कार्यक्रम-I (VVP-I, 2023)**: उत्तरी सीमा के साथ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में 662 गाँवों का समग्र विकास।
  - **जीवंत गाँव कार्यक्रम-II (VVP-II, 2025)**: 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के 1,954 गाँवों का विकास। इसका फोकस सीमा समुदायों के समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- भारत का सीमा प्रबंधन अब एक समग्र प्रणाली के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें तकनीक, अवसंरचना और सामुदायिक विकास का संयोजन है।
- आगे की दिशा में AI और उपग्रह-आधारित निगरानी का विस्तार, सीमा गाँवों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका का विकास, सुरक्षा बलों और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना, स्मार्ट एवं आत्मनिर्भर सीमा गाँवों को बढ़ावा देना, पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना और हाइब्रिड साइबर-भौतिक खतरों के विरुद्ध लचीलापन विकसित करना आवश्यक है।
- **स्मार्ट बॉर्डर पहल** से एकीकृत, तकनीक-आधारित सुरक्षा तंत्र एक वर्ष के अंदर स्थापित होने की अपेक्षा है।

Source : IE

कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ

संदर्भ

- भारत के रक्षा मंत्री और कोरिया गणराज्य के मंत्री ने संयुक्त रूप से दक्षिण कोरिया में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और इसमें भारतीय सैनिकों के योगदान को सम्मानित किया गया।

कोरियाई युद्ध की पृष्ठभूमि

- द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जापानी शासन के अधीन रहा कोरिया 38वें समानांतर पर विभाजित कर दिया गया।
- उत्तरी भाग सोवियत प्रभाव में आया और किम इल सुंग के नेतृत्व में उत्तर कोरिया बना।
- दक्षिणी भाग अमेरिकी प्रभाव में आया और सिंगमन री के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया बना।
- दोनों सरकारों ने पूरे कोरियाई प्रायद्वीप पर वैधता का दावा किया।

युद्ध की रूपरेखा

- **उत्तर कोरियाई आक्रमण (1950)**: 25 जून 1950 को उत्तर कोरियाई सेनाएँ 38वें समानांतर को पार कर दक्षिण कोरिया में घुस गईं।
- **संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया**: सुरक्षा परिषद ने आक्रमण की निंदा की और दक्षिण कोरिया को सैन्य सहायता की अनुमति दी।
- **संयुक्त राष्ट्र का प्रत्याक्रमण**: संयुक्त राष्ट्र-नेतृत्व वाली सेनाओं ने सफल इंचोन युद्ध लड़ा। उत्तर कोरियाई सैनिकों को चीन की सीमा तक "प्रत्यावर्तित किया गया।
- **चीनी हस्तक्षेप**: चीन ने 1950 के अंत में युद्ध में प्रवेश किया, क्योंकि उसे अपनी सीमा पर शत्रु सेना का भय था। चीनी सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं को दक्षिण की ओर धकेला, जिससे भारी हताहत और लंबा संघर्ष हुआ।
  - युद्ध अंततः मूल 38वें समानांतर के आसपास स्थिर हो गया।
  - 1953 में युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, परंतु कोई औपचारिक शांति संधि नहीं हुई। इस कारण दोनों कोरिया तकनीकी रूप से आज भी युद्धरत हैं।
  - इस समझौते ने शत्रुता की समाप्ति और 2.5 मील चौड़े **असैन्यीकृत क्षेत्र (DMZ)** की स्थापना की।

प्रमुख परिणाम

- कोरिया का स्थायी विभाजन—उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया।
- शीत युद्ध की सैन्य गठबंधनों का सुदृढ़ीकरण।
- पूर्वी एशिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विस्तार।
- वैश्विक राजनीति में चीन का एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति के रूप में उदय।

भारत की भूमिका

- **कूटनीतिक मध्यस्थता और शांति प्रयास**: भारत ने निरंतर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की और शीत युद्ध के दौरान युद्ध की वृद्धि रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कार्य किया।
- **न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन (NNRC) की अध्यक्षता**: भारत ने NNRC की अध्यक्षता की, जो 1953 के युद्धविराम के बाद युद्धबंदियों की वापसी और आदान-प्रदान की निगरानी हेतु जिम्मेदार था।
- **कस्टोडियन फोर्स इंडिया (CFI) की तैनाती**: भारत ने CFI भेजी, जिसने उन युद्धबंदियों का प्रबंधन और संरक्षण किया जिन्होंने तत्काल वापसी से मना किया।
- **मानवीय और चिकित्सीय सहायता**: भारत ने 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट तैनात की, जिसने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों और नागरिकों को चिकित्सीय उपचार एवं मानवीय सहायता प्रदान की।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

लोक लेखा समिति (PAC)

संदर्भ

- हाल ही में पुनर्गठित लोक लेखा समिति (PAC) की बैठक के. सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में

- PAC संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समितियों में से एक है, जिसका गठन 1921 में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद किया गया था।
- इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं: 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। परंपरा के अनुसार PAC का अध्यक्ष विपक्ष से होता है।

- समिति सरकारी व्यय की जाँच करती है और सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक धन का उचित उपयोग हो।
- यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है।
- समिति उन वित्तीय अनियमितताओं की भी जाँच कर सकती है जिन्हें सरकार के संज्ञान में लाया गया है लेकिन अभी तक उनका लेखा परीक्षण नहीं हुआ है।

स्रोत: TH

भारत द्वारा इथियोपिया की WTO सदस्यता का समर्थन

संदर्भ

- भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो इथियोपिया की विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल होने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

WTO सदस्यता प्रक्रिया

- WTO सदस्यता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई गैर-सदस्य देश WTO का सदस्य बनता है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
  - WTO को आवेदन प्रस्तुत करना।
  - देश की व्यापार नीतियों की समीक्षा हेतु एक कार्यदल का गठन।
  - घरेलू व्यापार और आर्थिक कानूनों को WTO नियमों के अनुरूप बनाना।
  - वर्तमान WTO सदस्य देशों के साथ बाज़ार-प्रवेश प्रतिबद्धताओं पर वार्ता।
- वार्ता पूरी होने के पश्चात, सदस्यता की शर्तें WTO सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और आवेदक देश द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।
- इथियोपिया ने 2003 में WTO सदस्यता के लिए आवेदन किया था और वर्तमान में यह प्रक्रिया के उन्नत चरण में है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है।
- **इतिहास:** WTO, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित सामान्य शुल्क एवं व्यापार समझौते (GATT) का उत्तराधिकारी है।
- **माराकेश समझौता:** 1994 में 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
- **सदस्य:** WTO के 166 सदस्य देश हैं।
- **अधिदेश:** इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, जो सदस्य देशों द्वारा चर्चा और हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों के माध्यम से किया जाता है।
  - माराकेश समझौते की प्रस्तावना इस संगठन के विकासात्मक उद्देश्यों को प्राथमिकता देती है।

स्रोत: PIB

मायोपिया महामारी

संदर्भ

- 2050 तक लगभग 4.75 अरब लोग, अर्थात् विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, मायोपिक होने की संभावना है।
  - भारत में शहरी बच्चों में मायोपिया की प्रचलन दर 1999 में 4.44% से बढ़कर 2019 में 21.15% हो गई है और अनुमान है कि 2050 तक यह लगभग 48% तक पहुँच जाएगी।

मायोपिया के बारे में

- मायोपिया मुख्यतः एक अपवर्तक स्थिति है जो आँख की अत्यधिक अक्षीय लंबाई के कारण होती है।
  - मायोपिक आँख में अक्षीय लंबाई, अर्थात् आँख के आगे और पीछे के बीच की दूरी, अत्यधिक लंबी हो जाती है।
  - परिणामस्वरूप, आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर सीधे केंद्रित होने के बजाय उसके सामने केंद्रित होती हैं, जिससे दूर की वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती हैं।

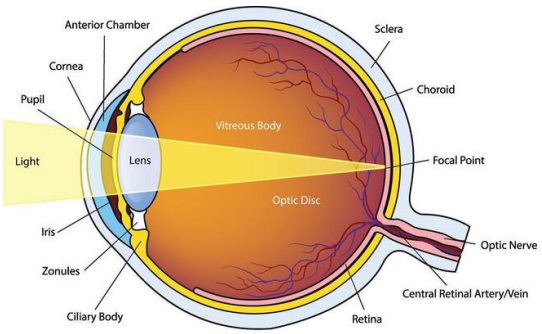

NORMAL VISION

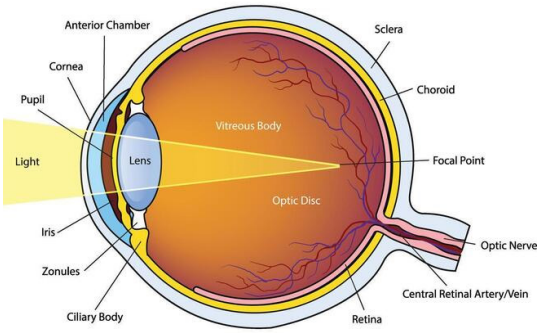

MYOPIA

- **उपचार:** अवतल लेंस , चाहे चश्मे के रूप में हों या कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में, का उपयोग फोकस को रेटिना पर वापस लाने और स्पष्ट दृष्टि बहाल करने हेतु किया जाता है।
- **चिंताएँ:** जैसे-जैसे आँख की अक्षीय लंबाई बढ़ती है, आँख के ऊतक—स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना—खींचाव एवं पतलेपन का शिकार होते हैं।
  - इससे रेटिना डिटैचमेंट, मायोपिक मैक्युलर डिजनरेशन, ग्लॉकोमा और प्रारंभिक मोतियाबिंद बनने का जोखिम बढ़ जाता है।
  - उच्च मायोपिया, जिसे सामान्यतः –6 डायॉप्टर या उससे अधिक के अपवर्तक त्रुटि के रूप में परिभाषित किया जाता है, संभावित रूप से अपरिवर्तनीय दृष्टि हानि और अंधत्व से जुड़ा होता है।
- **रोकथाम:** अनुसंधान से पता चलता है कि अधिक समय तक बाहर रहना मायोपिया की प्रगति के जोखिम को कम कर सकता है।
  - नियमित नेत्र परीक्षण विशेषकर विद्यालयी आयु के बच्चों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

स्रोत: TH

शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Island)

संदर्भ

- उत्तर और मध्य भारत में हाल ही में आई तीव्र हीट वेव ने शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव को लेकर चिंताएँ उजागर की हैं।

शहरी ऊष्मा द्वीप क्या है?

- शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) वह क्षेत्र है जहाँ मानव गतिविधियों और अवसंरचना के कारण तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है।
- UHI किसी क्षेत्र या पड़ोस में तापमान में छह डिग्री सेल्सियस तक का अंतर उत्पन्न कर सकता है।

शहरी ऊष्मा द्वीपों के लिए जिम्मेदार कारक

- **निर्मित पर्यावरण:** शहरी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जैसे कंक्रीट और डामर ऊष्मा को अवशोषित एवं बनाए रखते हैं, जिससे स्थानीय तापमान बढ़ता है।
- **वनस्पति की कमी:** शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम पेड़ और हरित क्षेत्र होते हैं, जिससे छाया एवं वाष्पोत्सर्जन का शीतलन प्रभाव घटता है।
- **मानव गतिविधियाँ:** परिवहन, उद्योग और ऊर्जा खपत जैसी गतिविधियाँ वातावरण में ऊष्मा छोड़ती हैं, जिससे तापमान और बढ़ता है।
- **परिवर्तित सतही विशेषताएँ:** शहरीकरण में प्राकृतिक सतहों को कृत्रिम सतहों से बदल दिया जाता है, जिससे सतह की परावर्तन क्षमता और ऊष्मीय गुण परिवर्तित हो जाते हैं और ऊष्मा अवशोषण बढ़ता है।

चिंताएँ

- **स्वास्थ्य जोखिम:** हीट एग्जॉशन और हीटस्ट्रोक , विशेषकर कमजोर जनसंख्या में।
- **ऊर्जा खपत:** शीतलन की बढ़ी हुई मांग ऊर्जा खपत और संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाती है।
- **जल प्रबंधन:** UHI स्थानीय जल चक्र को बाधित करता है, वाष्पीकरण दरों को बदलता है और भूजल पुनर्भरण को कम करता है।

स्रोत: DTE

■■■■